न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

रामक्षः एम0के0 सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निग0 466–एक/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 30–12–11 पारित द्वारा अपर आयुक्त,रीवा संभाग, रीवा प्रकरण कमांक 388/निग0/09–10.

———

1– रविकरण सिंह तनय वंशपती सिंह
2– मुस0 अरूण कुमार विधवा मनमूरत सिंह
3– रामसुजान सिंह तनय मनमूरत सिंह
4– विभाकुमारी पुत्री मनमूरत सिंह
5– कृष्णपाल सिंह तनय मनमूरत सिंह
6– मोतीलाल सिंह तनय वंशपती सिंह
सभी निवासी ग्राम शिवपुरवा तहसील गोपदबनास
जिला सीधी म0प्र0 ——— आवेदकगण

विरूद्ध

शीला देवी उर्फ सुखराज कुमारी पुत्री जगजीत सिंह
पत्नी राजबहादुर सिंह
निवासी ग्राम कुलबहेरिया तहसील मऊगंज,
जिला रीवा म.प्र.

———

आवेदक की ओर से अधिवक्ता, श्री आर. डी. शर्मा ।
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री वी.के. सिंह ।

———

:: **आदेश** ::

(आज दिनांक 17-06-2014 को पारित)

———

यह निगरानी अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण कमांक 388/निग0/09–10 में पारित आदेश दिनांक 30–12–11 के विरूद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है ।

2– प्रकरण के तथ्य अपर आयुक्त के आदेश में लिखे होने के कारण उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है ।

3– प्रकरण में दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई है ।

4— उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में दिए गए तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा आलोच्य आदेशों का अवलोकन किया । यह प्रकरण नामांतरण की कार्यवाही के संबंध में है । प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी ने अनावेदिका द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत अपील में पारित आदेश में यह पाया है कि राजस्व निरीक्षक की नामांतरण कार्यवाही में विधिवत इश्तहार का प्रकाशन नहीं किया गया न ही अनावेदिका जो कि मूल भूमिस्वामी की पुत्री होकर आवश्यक पक्षकार है को पक्षकार बनाया गया । उसे जानकारी भी नहीं दी गई इस कारण उन्होंने जानकारी दिनांक से अपील को म्याद के अंदर मानते हुए प्रकरण को प्रत्यावर्तित किया गया । इस आदेश की पुष्टि अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त ने की है । अपर आयुक्त ने प्रकरण के सम्पूर्ण तथ्यों का विस्तार से उल्लेख करते हुए आलोच्य आदेश पारित किया है । उन्होंने नामांतरण पंजी के अवलोकन के पश्चात यह पाया है कि अनावेदिका शीला का नाम न तो सूचना पत्र में लिखा और न ही उसे सूचना दी गई, स्व. जगजीत सिंह को लाबल्द फोत लेख किया है जबकि उसकी वारिस शीला मौजूद है । उक्त आधारों पर अपर आयुक्त ने अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश एवं उसकी पुष्टि करने बावत अपर कलेक्टर के आदेश को को स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त की गई है । अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अभिलेख पर आधारित है । प्रकरण में यह स्पष्ट है कि भूमिस्वामी की पुत्री मौजूद है जो आवश्यक पक्षकार है और आवेदकों द्वारा उसको पक्षकार नहीं बनाया गया था ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की जो कार्यवाही है वह अपने स्थान पर उचित, न्यायिक और समतामय प्रतीत होती है और प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है ।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखा जाता है ।

(एम0 के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर